अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या1346/ 9–1–18–236सा / 18

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक २ जुलाई ~~जून~~, 2018

विषयः प्रदेश की नागर निकायों में रिफार्म (पर्सनल इन्फार्मेशन सिस्टम बनाये जाने, सम्पत्तिकर / गृहकर, जलकर व सीवरकर के बिल का एकीकरण) तथा ऑन लाईन टैक्स जमा करने को बढ़ावा देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही वरीयता पर सुनिश्चित की जाएः–

(1) एन.आई.सी. द्वारा पर्सनल इन्फारमेशन सिस्टम (पी0आई0एस0) बनाया गया है जिसमें सभी श्रेणी के कर्मियों का पूर्ण विवरण भरा जाना है। अभी तक बहुत ही कम नगरीय निकायों द्वारा इस पर अपने कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया गया है। इस सूचना का प्रयोग कार्मिकों के वेतन / मानदेय भुगतान हेतु किया जाना है। मा0 मंत्री, नगर विकास द्वारा इस विषय पर निर्देश दिये हैं कि सभी कर्मियों के वेतन उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जाये। अतः एन.आई.सी. द्वारा विकसित पर्सनल इन्फारमेशन सिस्टम पर सभी श्रेणी के कर्मचारियों का पूर्ण डाटा (फोटोग्राफ सहित) 30 जुलाई, 2018 तक अवश्यक अपलोड कर लिया जाये (उक्त पी0आई0एस0 फार्म संलग्न है)।

(2) समस्त नगर निगमों / निकायों के वित्त एवं लेखाधिकारी को यह निर्देश दे दिये जायें कि जिस कर्मचारी का डिटेल इस सिस्टम में अपलोड नहीं है, उनका वेतन आहरण न किया जाये।

(3) यह आवश्यक है कि सभी नगरीय निकायें सम्पत्तिकर अधिरोपित करें, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(3) गृहकर, जलकर व सीवरकर जहॉ यह तीनों सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, वहॉ इन सबका एक इन्ट्रीग्रेटेड बिल निर्गत किया जाना चाहिए। गृह स्वामी द्वारा जमा किया गया पैसा गुहकर तथा जलंकर व सीवर कर अलग–अलग खाते जमा होना चाहिए।

(4) सम्पत्ति नामान्तरण की कार्यवाही तथा वाटर कनेक्शन की कार्यवाही भी आनलाईन सम्पादित की जानी चाहिए।

(5) गृह स्वामी को समय पर Demand Note/सूचना भेजने की व्यवस्था Manual व Mobile/Electronic माध्यम से होनी चाहिये। वर्तमान में यह आम शिकायत है कि देयों की वसूली के लिये नोटिस नही जाती है। अतः एक निश्चित अवधि / समय सीमा के अन्दर नोटिस भेजी जाये।

2. अतः उपरोक्त पॉचों बिन्दुओं पर समयबद्व कार्यवाही किया जाना है। राज्य वित्त आयोग के धनराशि नगरीय निकायों को अंतरित करने के पूर्व इन बिन्दुओं पर प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।

3. उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए श्री आलोक तिवारी, एन.आई.सी. हेड के ई–मेल आई.डी.–ulbnic@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

2.7.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
4– समस्त महापौर/नगर आयुक्त, नगर नगर निगम (द्वारा जिलाधिकारी)।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य केन्द्र लखनऊ।
6.– वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7.– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

2/7/18

( अनिल कुमार बाजपेई )
विशेष सचिव।